

03/05
2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थनिका को सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 22/05/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

22/05
2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सचिव द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित किये जाने से अब पत्रावली पूर्वा-नुसार दिनांक 28/05/2024 को पेश हो।

P.O.
J.S.
A.S.C.

28/05
2024

पत्रावली पेश हुई... अभिभाषक सचिव द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित किये जाने से अब पत्रावली पूर्वा-नुसार दिनांक 03/06/24 को पेश की जावे।

P.O.
J.S.
A.S.C.

3/06
24

पत्रावली पेश हुई... P.O. शाहब खान इयरी के द्वारा पेश किये जाये। अब पत्रावली पूर्वा-नुसार दिनांक 10/06/24 को पेश की जावे।

P.O.
J.S.
A.S.C.

05/06
24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों द्वारा उपस्थित। परोक्ष स्तर पर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने से विलम्ब कर पत्रावली के No- objection प्रस्तुत किया। क्लीक ऑफिस के आगे ही रहने के निवेदन पर प्राप्क व्याप्त-128 प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अक्षीकृत



No objection
5/6/2024
Natar

किया गया। कमील शर्फी की वक्त पर मना किया गया। प्राण धारा - 128 व फ्रावली के शामिल दस्तावेजों के अस्तित्व के इन्फॉर्मेशन पर मना किया गया। कमील शर्फी द्वारा वक्त के दौरान दी गई फ्लियों से हम संतुष्ट हैं। शर्फी का प्राण धारा - 128 वाक्य पदरगवि का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः कमील शर्फी का प्राण धारा स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। प्राण धारा - 128 का निर्णय प्रथम से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की सज्जास में सुनाया गया। फ्रावली फ़ैसल शुमार हो फर्ज निश्चय से मना किया जाकर शामिल दस्तावेज हैं।

Mahesh
उपबण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)